FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0052 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 24/02/2026 14:57 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
4	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
5	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 23/12/2017 **Date To (दिनांक तक):** 16/10/2018

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 00:01 बजे **Time To (समय तक):** 23:59 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/02/2026 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 24/02/2026 14:57:56 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 70 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** GRAM KALALO KI AANTI, KAKROD AVM NARANA, DEVGARH JILA RAJSAMAN

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** HIMMAT CHARAN

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 25/03/1992 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO-03, SAAGAD, FATEHGADH, SANGAD, JAISALMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO-03, SAAGAD, FATEHGADH, SANGAD, JAISALMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	HARENDRA SINGH CHAUHAN AND OTHERS		पिता:GANPAT SINGH	1. JANANA ASPATAL ROAD,LOHAGAL,POST MAKARWALI,AJMER,RAJASTH

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	अन्य	विविध		

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी श्री भैरू सिंह पिता नाथु सिंह जी बल्ला निवासी सोलंकी दरवाजा, देवगढ जिला राजसमन्द का एक परिवाद टाइपशुदा मुख्यालय भ्र.नि.ब्युरो जयपुर से जरिये डाक इस आशय का प्राप्त हुआ कि देवगढ क्षेत्र में क्वार्टस, फेल्सपार व ब्लेक ग्रेनाइट पत्थर के रूप में खनन लिजे काफी स्वीकृत होकर खनन कार्य जारी है तथा वर्तमान में भी कई खनन लिजे स्वीकृत होने हेतु माईनिंग विभाग में पेन्डिग है। क्षैत्र में खनन कार्य जोरो-शोरो से होकर करोडो रूपयों का व्यापार क्षैत्र मे चल रहा है। क्षैत्र में कुछ लोग भुमाफियों के रूप में गैर खातेदारी जमीनों जो वर्तमान में करोडों की है, उसे कोडीयों (बहुत कम दाम) के दाम खरीद रहे है व राजस्व अधिकारीयों से मिलीभगत कर नियम विरूद्व तरीके गैरखातेदारी से खातेदारी का अधिकार अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर दे रहे है। इस प्रकार गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार बिना कब्जे एवं बिना खेती के भी ऐसी पत्रावलीयां स्वीकृत कर भ्रष्टाचार जोरों पर है। ऐसी गैर खातेदारी भुमि को खातेदारी अधिकार देने के बाद भुमि का पंजीयन होकर ऐसी भुमियों को माईनिंग ऐरिये में राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का भी खेल चल रहा है। गैर खातेदारी भुमि भुमिहीन कास्तकारों को कास्त हेतु आवंटित की जाती है। लेकिन ऐसे रिकार्डशुदा गैरखातेदारी लोगों की जमीनों को पहाडी/खनन क्षैत्र में सहस्त्रान्त्रित कर भ्रष्टाचार अपने चरम बिन्दु पर है। राजस्व रिकार्ड मे जिन खातेदारी लोगो की भुमियां, जिनका मोके पर कब्जा नहीं होने से राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं है। ऐसी भुमियों को भी भुमाफिया व राजस्व अधिकारी मिलीभगत कर उन्हे अपनी मन मर्जी से ग्रेनाइट पत्थर वाले ऐरिये में तरमीम कर रहे है। कई गैरखातेदारी व खातेदारी की भुमिया जो वक्त आवंटन से तरमीमशुदा होकर मोके पर कब्जा है। उन लोगों की भुमियां भी राजस्व अधिकारी लाखों का प्रलोभन भुमाफिया से प्राप्त कर उक्त भुमियों को भी ग्रेनाईट पत्थर की जगह में नये सिरे से दर्शाकर रिकार्ड में कांटछांट कर बिना कब्जे वाली जगह में तरमीम कर रहे है। इस प्रकार राजस्व नक्शों में कुट रचित तरीके से दस्तावेजों में हेरा फेरी कर करोडों रूपये कमा रहे है। विशेष रूप से ए.सी व एस.टी. जाति के खातेदारी व गैरखातेदारों की भुमियां कोडीयों में खरीद कर करोडों में बेचान कर रहे है, जिस पर स्थानीय प्रशासन जानबुझकर मोन है। बात यही समाप्त नहीं हो जाती है, बडे आश्चर्य की बात है कि जिन खातेदारी व गैर खातेदारी लोगो की भुमि नक्शा ट्रेस में तरमीम हो चुकी है, उस राजस्व रेकार्ड नक्शा में भी हेरा फेरी एवं कांटछांट कर जमीनों को वहां से हटा कर ग्रेनाईट पत्थर वाली भुमि में तरमीम की जा रही है। एससी/एसटी जाति के गैर खातेदारों की भुमि भुमाफिया 50,000 रूपये तक प्रति बिघा की रेट से भुमि खरीद कर खनन करने वाले को 20 लाख रूपये प्रति बीघा तक की रेट में बेचान कर रहे है। इस प्रकार 20 गुना दर से रूपये कमाने का खेल चल रहा है, लोग रातो रात करोडपति बन रहे है। इसमें राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों की अहम भुमिका है और यह लोग अनुचित दबाव व प्रभाव में है। गैर खातेदारों को कृषि कार्य करने एवं अपना गुजर बसर करने हेतु भुमिहीन बता कर सरकार द्वारा भुमि दी जाती है। जिसका उददेश्य कास्तकार को कृषि कार्य कर गुजर बसर करना है। परन्तु वर्तमान में राजस्व अधिकारीयों ने नियम कानुन कायदे ताक में रख कर भुमाफिया के प्रलोभन में ग्रेनाईट पत्थर ऐरिया पर गलत तरमीम एवं कब्जा दर्शा कर एवं पत्थरों पर कृषि होना दर्शा कर खातेदारी अधिकार दे रहे है। मोके व रिकॉर्ड में गैर खातेदारी आवंटन के बाद आज दिन तक भुमि में कभी भी कास्त कास्तकार द्वारा नहीं की गयी, न ही भुमि को काबल कास्त बनाया। ऐसी भुमिया राजस्व अधिकारी भुमाफिया चिन्हित करके पुरानी खसरा गिरदावरी में वर्तमान में कास्त होना दर्ज कर कुटरचित दस्तावेज तैयार कर करोडों रूपयों का भ्रष्टाचार कर रहे है। ऐसी विवादग्रस्त पत्रावलीयों की लेखनी व स्याही की जांच होना आवश्यक है। यह मामला राजस्थान पत्रिका अखबार में भी कई बार प्रकाशित हो चुका है तथा अखबारों में शिकायत प्रकाशित होने के बाद भी कई पत्रावलीयां विभागीय स्तर पर जांच हेतु कलेक्टर कार्यालय में पेंडिंग है। आज तक दोषी अधिकारीयों एवं कर्मचारीयों को किसी प्रकार से दंडित नहीं किया है एवं न ही पत्रावलीयों की जांच विधिवत करवाई गयी है। सरकारी एवं राजनेताओं की मिलीभगत होने से मामलों को दिन ब दिन दबाये जाने हेतु पर्दा डाला जा रहा है चुकि यह मामला लाखों का नहीं करोडों रूपये के लेन देन का खेल है। इस भ्रष्टाचार को राजनैतिक शरण प्राप्त है एवं उक्त सभी गैर खातेदारी से खातेदारी देने के पश्चात भुमियों में ग्रेनाईट पत्थर के खनन कार्य हेतु माईंनिग विभाग से खनन आज्ञा प्राप्त कराने हेतु पत्रावलीयों भी पेश कर दी है। ऐसी खनन पत्रावलीयां निरस्त योग्य है। ऐसी पत्रावलीयों की सार्वजनिक तोर आर.टी. आई. के तहत कई बार सुचना भी राजस्व विभाग से मांगी, परन्तु पत्रावलीयों की सुचना नहीं देकर गुपचुप तरीके से पत्रावलीयां नियम विरूद्व तरीके से स्वीकृत कर रहे है तथा ऐसी भ्रष्ट पत्रावलीयों की सुचना व्यक्तिगत सुचना होने का

हवाला देकर सुचना देकर ईनकार किया जा रहा है। इससे भी पुर्ण रूप से स्पष्ट है कि इस पत्रावलीयों को दबाने का कार्य राजस्व अधिकारी जान बुझकर कर रहे है। भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है से सुचना नहीं दी जा सकती है, ऐसा कह कर नकल देने से मना कर रहे है एवं रेकार्ड में हेरा फेरी लगातार करते ही जा रहे है। ऐसी गैर खातेदारी, खातेदारी व तरमीम पत्रावली में कास्त कार की मृत्यु होने पर गलत वारिस दर्शा कर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विरासत के आधार पर भुमियों का नामान्तरण भी खोला जा रहा है। इस प्रकार माईनिंग क्षेत्र में माईनिंग जमीनों के संबंध में भारी घोटाले व भ्रष्टाचार पनप रहा है। अतः आप से निवेदन है कि पिछले 4 सालों में माईनिंग खनन ऐरीया क्षेत्र देवगढ जिला राजसमंद में करोडों रूपयों की भुमि को गैर खातेदारी से खातेदारी करने एवं नियम विरूद्ध तरीके से भुमियों में तरमीम करने, नक्शे में कांटछांट करने व पुरानी गिरदावरी में नवीन कास्त दर्ज वाले राजस्व अधिकारीयों, लिप्त लोगों तथा षडयंत्र करने वाले लोगों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर उचित कानुनी कार्यवाही करावें व साथ ही ऐसी समस्त पत्रावलीयों को शीघ्र जब्त कर विस्तृत जांच की जावें। उक्त आशय का परिवाद भ्र0नि0ब्यूरो मुख्यालय के पत्र क्रमांक भ्रनि0ब्यूरो/परिवाद/2018/20682-83 दिनांक 26.11.2018 के द्वारा परिवाद संख्या 559/2018 विरूद्ध अधिकारी/कर्मचारी राजस्व विभाग देवगढ़ जिला राजसमन्द एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज होकर दिनांक 03.12.2018 को प्राप्त हुआ जिसकी जॉच श्री दामोदर सिंह तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, श्री राजेश चौधरी तत्कालीन अति0 पु0 अधी0 एवं श्री अनूप सिंह तत्कालीन उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमन्द द्वारा की गई।

दौराने जांच परिवाद में अंकित शिकायत से सम्बन्धित रेकार्ड प्राप्त किया गया एवं परिवादी श्री भेरू सिंह बल्ला व सम्बन्धित गवाह के बयान लिये गये एवं आरोपीगण के स्पष्टीकरण लिये गये व श्री हरेन्द्र सिंह चौहान तत्कालीन तहसीलदार देवगढ द्वारा उसके कार्यकाल में नियम विरूद्व अपात्र व्यक्तियों को व्यक्तिगत लाभ देने के संबंध मे श्री के.आर.चौहान तत्कालीन उपखंड अधिकारी, देवगढ जिला राजसमंद द्वारा जांच की गई जो जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक राजस्व/19/445 दिनांक 01.03.19 से प्राप्त हुई व जिसका अवलोकन किया गया तो निम्न तथ्य पाये गये।

तथ्य सं. 01 - तहसीलदार श्री हरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा कार्यालय तहसील देवगढ के पत्र क्रमांक भु.अ./2017/506-508 दिनांक 26.12.2017 के संदर्भ में खातेदार सोहन पिता रामा सुथार उक्त खातेदार को कार्यालय उपजिलाधीश भीम फाईल नं. 126 दिनांक 09.05.1977 को ग्राम मांडावाडा में आ.नं.1025 रकबा 3.00 बीघा भुमि आवंटित की गयी थी जिसका आदेश (पटटा) दिनांक 05.08.1977 को जारी हुआ जिसका पटवार हल्का मांडावाडा ग्राम स्वादडी का आवंटन सुदा जमीन का नियमानुसार 29.05.1977 को मोके पर 3.00 बीघा भुमि का कब्जा सुपुर्द किया गया जिसकी जमाबंदी 2070-2073 में भी खसरा नं. 1086/1025 रकबा 3.00 बीघा के खातेदार के रूप में दर्ज है तथा उपरोक्त खसरा बैंक में रहन दर्ज भी है उक्त प्रकरण में तहसीलदार देवगढ द्वारा एक कार्यालय आदेश जारी किया जो की कार्यालय आदेश संख्या भु.अ. /2017/506-508 दिनांक 26.12.2017 जो की लगभग 40 वर्ष बाद खातेदार ग्राम पंचायत दौलपुरा के ग्राम तीखी में ख. नं. 152 रकबा 3.00 बीघा में पटवारी हल्का दौलपुरा को राजस्व रेकार्ड में अंकन करने हेतु आदेश प्रदान किये गये। उक्त प्रकरण के साथ में राजमल पिता दीपचन्द को भी उपजिलाधीश भीम की फाईल सं. 125 दिनांक 09.05.1977 को ग्राम मांडावाडा आ.नं.1025 रकबा 3.00 बीघा भुमि आवंटन की गयी थी जिसका (पटटा) आदेश दिनांक 05.08.1977 को जारी हुआ जिसका पटवारी हल्का मांडावाडा ग्राम पंचायत स्वादडी का आवंटन सुदा जमीन का नियमानुसार 29.05.1977 को मौके पर 3.00 बीघा भुमि का कब्जा सुपुर्द किया गया जिसकी जमाबंदी 2070-2073 में आ.नं.1085/1025, 3.00 बीघा में खातेदार के रूप में दर्ज है। दोनों प्रकरणों में 40 वर्ष बाद तहसीलदार देवगढ हरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा ग्राम तीखी के खाता सं. 1 जो बिलानाम सरकार के नाम दर्ज है, में आ.नं. 152 रकबा 404.08 बीघा किस्म गै.मु.मगरी, गै.मु. खदान पत्थर दर्ज है में अंकन करने के आदेश दिये गये जो कि आवंटन नियमों की अवहेलना जांच में पुष्टि होती है तथा जब किस्म गै.मु.मगरी, गै.मु. खदान पत्थर है जो कि गैर काबिल कास्त की श्रेणी में आती है जिसमें खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना नियमों के विरूद्व है क्योंकि इस किस्म में फसल नहीं बोई जा सकती है, तो खातेदार के नाम पर अंकन के आदेश नियमों के विपरित जाकर जारी किये गये हैं जो जांच में मेलाफाइड इन्टेशन प्रतीत होता है। उपरोक्त दोनों खातेदार जमाबंदी के अनुसार आ.नं. 1025 में खातेदार की हैसियत से काबिज है तथा बैंक रहन दर्ज भी है तत्कालीन तहसीलदार को खातेदारी निरस्त करने का अधिकार नहीं होने के बावजुद भी उपरोक्त दोनों खातेदारों को आ.नं. 152 ग्राम तीखी में जो कि अलग पटवार मंडल व अलग ग्राम पंचायत का राजस्व ग्राम है में अंकन करने के आदेश प्रदान किये गये जो कि नियमों, क्षेत्राधिकार के विरूद्व जाकर अधिकारों का दुरूपयोग किया जिसकी जांच में पुष्टि होती है। जांच के दोरान प्रत्येक खातेदार के पास 3.00 बीघा होनी चाहिये थी जबकि कार्यालय तहसीलदार देवगढ़ के आदेश से प्रत्येक खातेदार के पास 6.00-6.00 बीघा जमीन हो जाती है। उक्त प्रकरण में श्री सोहन पिता रामा सुथार एवं राजमल पिता दीपचन्द सुथार निवासी माण्डावाडा द्वारा श्री हरेन्द्र सिंह चौहान तत्कालीन तहसीलदार देवगढ़ से आपसी मिलीभगत कर अपनी माण्डावाडा में स्थित जमीन खसरा नं. 1086/1025 एवं 1085/1025 किस्म बारानी के स्थान पर ग्राम तिखी में स्थित आराजी संख्या 152 किस्म गै.मु.मगरी, गै.मु. खदान पत्थर पर अपना कब्जा दिखाकर गलत तथ्यों के आधार पर उक्त भूमि की खातेदारी प्राप्त की गई। अतः उपरोक्त प्रकरण में श्री हरेन्द्र सिंह चौहान तत्कालीन तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द द्वारा नियमों के विरूद्व जाकर व्यक्ति विशेष को लाभ

पहुंचाया गया जो जांच से स्पष्ट हैं।

तथ्य सं. 2 - ग्राम कलालों की आंती ग्राम पंचायत लसानी पटवार मंडल लसानी-उक्त प्रकरण में तहसीलदार देवगढ श्री हरेन्द्र सिंह चौहान अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर ग्राम कलालों की आंती में आशुराम पिता राजमल कलाल के नाम उपखंड अधिकारी भीम द्वारा आदेश क्रमांक 28/1989 दिनांक 03.05.1990 के अनुसार आराजी नं. 680/424 रकबा 1.01 बीघा के आवंटन आदेश जारी हुए जिसके अनुसार जमाबंदी संवत 2070-73 के खाता संख्या 5 में आशुराम पिता राजमल कलाल सा. खातेदार दर्ज है। लेकिन तहसीलदार देवगढ द्वारा कार्यालय के पत्र क्रमांक राजस्व/18/467 दिनांक 07.09.2018 को बिना किसी आंवटन आदेश के स्वयं ने आराजी नं. 41 में रकबा 5 बीघा में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के पटवारी हल्का लसानी को आदेश जारी किये संलग्न दस्तावेज अनुसार केवल खातेदार द्वारा कास्त के लिये नई जमीन दिये जाने हेतु आवेदन किया था। उक्त प्रकरण में तहसीलदार ने आवेदन के आधार से ही आराजी नं. 41 में रकबा 5 बीघा में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये गये। जिसका पटवारी हल्का द्वारा ग्राम कलालों की आंती में ना.क.संख्या 1547 दायर किया गया आर.आई द्वारा जांच 24.09.2018 को की गई तहसीलदार द्वारा दिनांक 25.09.2018 को ना. करण स्वीकृत कर दिया गया। जबकि पटवारी द्वारा स्वयं रिपोर्ट की गयी की आवंटी का मोके पर कब्जा नहीं है। उक्त प्रकरण में उपखंड अधिकारी भीम द्वारा श्री आशुराम पिता राजमल कलाल निवासी कलालों की आंती को आराजी नम्बर 680/424 रकबा 1.01 बीघा जमीन काश्त हेतु आवंटित की गई थी। तहसीलदार देवगढ द्वारा श्री आशुराम को कलालों की आंती स्थित आराजी नम्बर 680/424 रकबा 1.01 बीघा जमीन के स्थान पर आराजी नं. 41 में रकबा 5 बीघा जमीन राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये। श्री आशुराम को यह जानकारी थी कि आराजी नं. 41 में रकबा 5 बीघा जमीन उसको आवंटित नहीं हुई इसके बावजूद भी लाभार्थी आशुराम द्वारा तहसीलदार देवगढ़ से मिलीभगत कर गलत तथ्यों के आधार आराजी नम्बर 680/424 रकबा 1.01 बीघा जमीन के स्थान पर बिना आवंटन आदेश के आराजी नं. 41 में रकबा 5 बीघा जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवा दिया। उपरोक्त प्रकरण पुर्णतया फर्जी होकर तहसीलदार देवगढ़ श्री हरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा बिना किसी आदेश व नियमों के अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर आशुराम पिता राजमल कलाल को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

तथ्य सं. 03 - ग्राम कलालों की आंती ग्राम पंचायत लसानी- ग्राम कलालों की आंती में पन्ना पिता हुक्मा कलाल के नाम प्राधिकृत भुमि आवंटन अधिकारी (महिला बाल विकास) के आदेश संख्या 58/2002 दिनांक 23.07.2002 उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का लसानी ने तहसीलदार देवगढ के आदेश क्रमांक रिडर/राजस्व/248 दिनांक 01.05.2018 की पालना में आराजी नं. 376 रकबा 4 बीघा उपरोक्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवंटित किया गया किन्तु रिकॉर्ड में अंकन नहीं है। पटवारी ने अपने मौका पर्चा दिनांक 12.06.2018 में उक्त भुमि पर पन्ना, जयराम पिता हुक्मा का कब्जा होना व इनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है किन्तु पटवारी ने पुनः इसी मोके पर्चे में जयराम पिता हुक्मा व पन्ना पिता हुक्मा अलग-अलग व्यक्ति होना बताया। आवंटन की मुल पत्रावली 58/2002 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि पन्ना लाल के साथ-साथ जयराम का नाम इसमें बाद में जोडा गया रकबे में वाईटनर (correcting fluid) स्याही का प्रयोग करके रकबे में हेराफेरी की गई है केवल यही नहीं बल्कि रकबे में 134.00 बीघा किया गया है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार हरेन्द्र सिंह चौहान ने अपने कार्यालय पत्र क्रमांक राजस्व/18/334 दिनांक 20.06.2018 को पटवारी हल्का लसानी को उक्त आवंटित जमीन आ.नं. 376 रकबा 4.00 बीघा का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश प्रदान किये प्रथम दृष्टया यह प्रकरण काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 में घोषणा सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष किया जाना था। लेकिन श्री हरेन्द्र सिंह चौहान तहसीलदार देवगढ ने बिना किसी अधिनियम/नियम के क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर उपरोक्त प्रकरण में व्यक्ति विशेष को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया गया व रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई। उक्त प्रकरण में दिनांक 20.06.2018 को गैर खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये गये थे तथा 13.08.2018 को लगभग 53 दिन बाद गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार दे दिये गये थे। जिसके ना.करण संख्या 1539 दायर करा दिनांक 13.08.2018 को स्वीकृत किया गया। जिससे पुर्णतः स्पष्ट है कि व्यक्ति विशेष को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

तथ्य सं. 04 -

1. लक्ष्मण पिता रूपा रेगर निवासी कलालों की आंती के नाम प्राधिकृत अधिकारी (उपनिदेशक महिला बाल विकास) के आदेश क्रमांक 53/2002 दिनांक 23.07.2002 आ.नं. 376/2 रकबा 1.10 बीघा
2. श्री पुनाराम पिता सोहनलाल कलाल निवासी कलालों की आंती के नाम प्राधिकृत अधिकारी (उपनिदेशक महिला बाल विकास) के आदेश क्रमांक 60/2002 दिनांक 23.07.2002 आ.नं. 376 रकबा 2.00 बीघा
3. पुखराज पिता बंशीलाल कलाल निवासी कलालों की आंती के नाम प्राधिकृत अधिकारी (उपनिदेशक महिला बाल विकास) के आदेश क्रमांक 46/2002 दिनांक 23.07.2002 आ.नं. 376 रकबा 2.00 बीघा
4. विष्णुशंकर राव पिता देव किशन राव निवासी कलालों की आंती आदेश क्रमांक 55/2002 दिनांक 23.07.2002 आ.नं. 376 रकबा 1.00 बीघा

5. पारसमल पिता पुरणमल राव निवासी कलालों की आंती आदेश क्रमांक 52/2002 दिनांक 23.07.2002 आ.नं. 376 रकबा 1.10 बीघा
6. रामदास पिता गिरधारी वैरागी, आदेश क्रमांक 48/2002 दिनांक 23.07.2002 आ.नं. 376 रकबा 2.00 बीघा

उपरोक्त कुल 6 प्रकरणों में सभी संलग्न पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रथम दृष्टया सभी आवंटन आदेश लगभग 16 वर्ष पुर्व सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटन के आदेश किये गये है। यदि तहसीलदार द्वारा गैर खातेदार घोषित आदेश प्रदान किये जाते उससे पहले आवंटी की न्युनतम योग्यता को आधार मानना चाहीये था-

1. गैर खातेदार द्वारा कब्जा जो कि पटवारी व गिरदावर द्वारा कब्जा रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा ली जानी थी।
2. आवंटन आदेश के साथ कब्जा रिपोर्ट (सुपुर्दगी नामा)
3. मुल फाईल के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस की कॉपी

लेकिन तहसीलदार द्वारा किसी भी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज लेना उचित नहीं समझा चुंकि उक्त सभी प्रकरणों में व्यक्ति विशेष को लाभ देना स्पष्ट रूप से जाहीर होता है। यद्यपि उक्त सभी प्रकरणों में यदि व्यक्ति विशेष को आवंटन आदेशों की पालना में अनुतोष दिया भी जाता है तो उक्त सभी आवंटीयों को सक्षम राजस्व न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है लेकिन तहसीलदार द्वारा अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर अधिनियमों/नियमों की अवहेलना कर स्वयं के द्वारा ही केवल एकमात्र कार्यालय के पत्र द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश किये है।

तथ्य सं. 05 - ग्राम पंचायत काकरोद में कुल 05 प्रकरणों में तहसीलदार देवगढ श्री हरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा नियमों की अवहेलना कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन की कार्यवाही की गई।

1. श्री मनोहर सिंह पिता भेरू सिंह राजपुत निवासी काकरोद आवंटन आदेश की पत्रावली संख्या 73/86 दिनांक 13.06.86 उक्त प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तदनुसार केवल मात्र आवेदक का जमीन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र तथा केवल आवंटन कमेटी के द्वारा आवंटन हेतु बनायी गई सुची की छायाप्रति ही दस्तावेज के रूप में संलग्न है। तहसीलदार द्वारा यह पता नहीं कि किस नियमों के तहत तहसील कार्यालय पत्र क्रमांक 675 दिनांक 27.12.2017 को पटवारी हल्का काकरोद को आवंटन सुदा भुमि को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हेतु लिखा गया है जमीन का विवरण आ.नं. 104 रकबा 5.00 बीघा को पटवारी हल्का द्वारा उपरोक्त आदेश की पालना में ना.करण संख्या 677 दिनांक 09.01.2018 को गैरखातेदारी हक से ना.करण तदीक कर दिया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि तहसीलदार के साथ गिरदावर व पटवारी के द्वारा भी नियमों के विरूद्व उक्त कार्य किया गया है।
2. प्रताप सिंह पिता साहिब सिंह राजपुत निवासी काकरोद आवंटन आदेश की पत्रावली संख्या 76/86 दिनांक 13.06.86 उक्त प्रकरण में केवल मात्र आवेदक द्वारा आवंटन हेतु आवेदन पत्र संलग्न है जो की लगभग 32 वर्ष पुराना है तहसीलदार स्वयं अपने कार्यालय के पत्रांक 676 दिनांक 27.12.2017 में उल्लेख करता है कि प्रार्थीया के पति स्व. प्रताप सिंह पिता साहिब सिंह निवासी काकरोद आ.नं.104 रकबा 5.00 बीघा भुमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावें तत्कालीन पटवारी सियाराम पाण्डिया व गिरदावर चतर सिंह ने भी मृतक प्रताप सिंह पिता साहिब सिंह के नाम ना.करण दायर कर दिनांक 09.01.2018 को तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया। जबकि प्रार्थीया द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु आवेदन किया गया उक्त पुर्णतया नियमों के विरूद्व है। आवंटित जमीन के आवंटन की श्रेणी में आता ही नहीं है तथा मरने के बाद ना. करण मरे हुए व्यक्ति के नाम पर स्वीकृत किया जो पुर्णतया नियम विरूद्व है।
3. सम्पत लाल पिता शोभालाल जैन निवासी काकरोद आवंटन आदेश की पत्रावली संख्या 186 दिनांक 13.06.86 उक्त प्रकरण में आवेदक का प्रार्थना पत्र व आवंटन कमेटी की सुची को ही आवंटन आधार मान कर खसरा नं. 104 रकबा 5.00 बीघा भुमि का तहसील कार्यालय के पत्रांक 677 दिनांक 23.12.2017 राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश दिये है जिस पर ना.करण संख्या 679 पटवारी काकरोद श्री सियाराम पाण्डिया व गिरदावर चतर सिंह द्वारा जांच के पश्चात तहसीलदार द्वारा दिनांक 09.01.2018 को स्वीकृत किया जाकर गैर खातेदार घोषित किया गया।
4. शैल सिंह पिता जय सिंह राजपुत निवासी काकरोद आवंटन आदेश की पत्रावली संख्या 72/86 दिनांक 13.06.86 उक्त प्रकरण में आवेदक का प्रार्थना पत्र को ही आवंटन आधार मानकर खसरा नं. 104 रकबा 5.00 बीघा का तहसील कार्यालय के आदेश क्रमांक 678 दिनांक 23.12.2017 राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश दिये है जिस पर ना.करण संख्या 680 पटवारी काकरोद श्री सियाराम पाण्डिया व गिरदावर चतर सिंह द्वारा जांच के पश्चात दिनांक 09.01.2018 को स्वीकृत किया जाकर गैर खातेदार घोषित किया है।
5. रामलाल पिता जग्गु गुर्जर निवासी काकरोद आवंटन आदेश दपस दिनांक 13.06.86 उक्त प्रकरण में केवल मात्र आवेदक का प्रार्थना पत्र व आवंटन कमेटी के रजिस्टर की छायाप्रति को ही आधार मानकर खसरा नं. 104 रकबा 5.00 बीघा भुमि तहसील कार्यालय के आदेश क्रमांक राजस्व/18/10 दिनांक 05.11.2018 को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जिस पर ना.करण संख्या 681 पटवारी हल्का काकरोद सियाराम पाण्डिया द्वारा दायर किया जिसकी जांच गिरदावर चतर सिंह द्वारा की गई तहसीलदार द्वारा दिनांक 09.01.2018 को स्वीकृत किया गया।

उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार देवगढ श्री हरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा अपने अधिकार क्षैत्र से परे जाकर लाभार्थीगण

को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने की नियत से उक्त भूमियों को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश प्रदान किया गया जो नियम विरूद्ध है।

तथ्य सं. 06 - ग्राम पंचायत नराणा के ग्राम नराणा में एक प्रकरण में नियमों की अवहेलना कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन की कार्यवाही की गई। उक्त प्रकरण श्री नारायण लाल पिता भंवर लाल दमामी निवासी नराणा में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार पूर्व में नारायणलाल पिता भंवरलाल दमामी ग्राम नराणा आ.नं. 325 रकबा 5.00 बीघा को वर्ष 1978 में आवंटन हुई थी जिसके जरिये ना.करण संख्या 175 दिनांक 30.12.1978 को गैर खातेदारी हक से नामान्तरण स्वीकृत हुआ। उक्त ना.करण संख्या 175 में आवंटन आदेश व अन्य चस्पा नहीं है अतः उक्त आवंटन भुमि ना. करण संख्या 202 दिनांक 06.11.1989 कार्यालय उपजिलाधीश भीम के आदेश क्रमांक राजस्व/आवंटन/84/1089 दिनांक 06.07.1984 से बिलानाम दर्ज हुई। वर्तमान जमाबंदी 2071-2074 में नारायण लाल पिता भंवरलाल दमामी के नाम गैर खातेदारी व खातेदारी भुमि अंकित नहीं हैं यह पटवारी की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है। लेकिन उक्त आवंटन खसरा नं. 325 सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त कर बिलानाम दर्ज की गई थी जो कि ना.करण संख्या 202 में अंकित है। तहसीलदार द्वारा कौन से नियमों के तहत अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक राजस्व/18/503 दिनांक 16.10.2018 को पटवारी हल्का नराणा को अमलदरामद करने हेतु लिखा गया जो कि नियम विरूद्ध है चूंकि उपरोक्त भुमि का रिकॉर्ड में अमलदरामद नियमों के विरूद्ध किया जाकर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की नियत से आदेश प्रदान किये।

तथ्य सं. 07 - पटवार मंडल ईशरमंड में ग्राम ईशरमंड के आ.नं.1030 रकबा 5.00 बीघा भुमि तहसील के पत्र क्रमांक राजस्व/18/391 दिनांक 10.07.2018 को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश किये जिसके तहत आवंटन को अमलदरामद करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों को साथ में संलग्न किया जाना अति आवश्यक था लेकिन तहसीलदार द्वारा कोई भी दस्तावेज पटवारी हल्का ईशरमंड को नहीं भेजा ना ही अपने उपरोक्त पत्र में उल्लेख किया इससे जाहिर होता है इस प्रकरण में भी नियमों के विरूद्ध जाकर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उददेश्य से केवल मात्र कार्यालय का एक पत्र द्वारा रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु लिखा गया है। जिसमें नियमों की अवहेलना प्रतीत होती है।

तथ्य सं. 08 - गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार- तहसीलदार देवगढ श्री हरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये तथा पुनः खातेदारी अधिकार निरस्त किये गये जिनका विवरण इस प्रकार है -

क्रम सं.	पत्रावली संख्या	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी संख्या	रकबा
1.	1/18	चुन्नी बाई पिता काना भील, देवा पिता हीरा भील	जेमाखेडा	294/252	10 बीघा
2.	2/18	मांगीलाल, सायरी,सीता,वनकी,पुनकी पिता आसु भेरूलाल वग. लीला लक्ष्मी ना.बा. पिता देवीलाल गटु देवी पत्नी देवीलाल वगैरहा	जेमाखेडा	289/252	10 बीघा
3.	3/18	चुन्नी बाई पिता काना भील, देवा पिता हीरा भील नि. भचरडीया	जेमाखेडा	293/252	10 बीघा
4.	4/18	नेना पिता भज्जा भील	घाटी	790/678	3 बीघा
5.	5/18	बाबु, मोहन, सोहन, जमनी पिता रतु केसी बेवा नारू भील	घाटी	757/172	5 बीघा
6.	6/18	बाबु, मोहन, सोहन, जमनी पिता रतु केसी बेवा नारू भील सा.	घाटी	758/172	5 बीघा
7.	7/18	उदा पिता वरदा लुहार नि. सालियों का खेडा	सालीयों का खेडा	250/4	5 बीघा
8.	8/18	नारायण लाल मदनलाल गहरी लाल मोहन चांदी पिता भैरा माली सा.देह	सालीयां का खेडा	339/3	3 बीघा
9.	9/18	लेहरू प्रताप माधु गोपा पिता जीवा बलाई सा. कुंवाथल	कुंवाथल	2023/124	10 बीघा
10.	10/18	श्रीमति रूकमणी पति उदा कलाल नि. कलालों की आंती	कलालों की आंती	995/376	1 बीघा
11.	11/18	पन्ना जयराम पिता हुक्मा कलाल	कलालों की आंती	376/2	4 बीघा
12.	12/18	पारस मल पिता पुरण मल कलाल	कलालों की आंती	376/8	1.10 बीघा
13.	13/18	हीरापुरी पिता उंकार पुरी गुसाई	कालेसरीया	185	4 बीघा
14.	14/18	मनरूप पिता जगु गुर्जर	झांकरा	207/5	3 बीघा
15.	15/18	मिश्रीलाल पिता नेना लाल नाई	नराणा	325/1	5 बीघा

16.	16/18	नारूलाल भुरी बाई रूकमणी, धापु बाई पिता कोलु गुर्जर	पारडी	345/5	3 बीघा
17.	19/18	शांता सुमित्रा सीता पिता रामा, कमला बेवा रामा बलाई	फुकीयाथड	407/157	5 बीघा
18.	21/18	गोपाल सुन्दर कमला पिता खुमाराम राव नि. हीरा की बस्सी	हीरा की बस्सी	442/235	5 बीघा
19.	22/18	मुला पारसी पिता मांगू छगू बेवा मांगु बलाई बारवालों का खेडा	बारवालों का खेडा	84/8	5 बीघा
20.	23/18	खेमराज मीठालाल गौतमराम नारायण लाल वगैरह	सिरोला	1430/2	2 बीघा
21.	24/18	उदयसिंह पिता रतन सिंह रावत सा.देह	कालागुन	1171/65	25 बीघा
22.	25/18	वरदा पिता गणेश कलाल नि. वाणिया हाटडी	वाणिया हाटडी	401/155	5 बीघा
23	26/18	गोपी प्रभु अम्बालाल गहरीलाल मिश्रीलाल मदनलाल कमला नेनु वगैरहा	वाणिया हाटडी	388/15	3 बीघा
24	30/18	कैलाश पिता मोहन भील नि. डांगडी	डांगडी	1/6	5 बीघा
25	31/18	गोपाल वन पिता सायर वन जोशी निवासी शक्करगढ	शक्करगढ	1059/489	2.12 बीघा
26	32/18	पुनाराम पिता उदा कलाल नि. कलालों की आंती	कलालों की आंती	998/376	1 बीघा
27	33/18	डाली बाई पत्नी हीरा लाल कलाल	कलालों की आंती	994/376	1.10 बीघा
28	36/18	गोपीलाल पिता हमीर कलाल	कलालों की आंती	997/376	2.10 बीघा
29	37/18	पुनाराम पिता सोहन लाल कलाल	कलालों की आंती	376/4	2 बीघा
30	38/18	श्रवण पिता रूपा रेगर सा. कलालों की आंती	कलालों की आंती	376/5	1.10 बीघा
31	39/18	विष्णुशंकर पिता देवकिशन राम	कलालों की आंती	376/6	1 बीघा
32	40/18	पुखराज पिता बंशीलाल कलाल	कलालों की आंती	376/7	2 बीघा
33	42/18	कासम पिता अजानुर मुसलमान	लसानी	2489/1196	5 बीघा
34	43/18	देवकिशन पिता नारू गुर्जर	घाटी	784/678	2 बीघा
35	41/18	बगतावर पिता लाल जी गुर्जर	घाटी	785/308	1.10 बीघा

उपरोक्त 35 प्रकरणों में श्री हरेन्द्र सिंह चौहान, तहसीलदार देवगढ द्वारा उपरोक्त गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करते समय निम्न लिखित योग्यता व दस्तावेजों का अवलोकन किया जाना अति आवश्यक था जैसे की मौके पर कब्जा, मुल आवंटन में आवंटन के आधार पर ना.करण फर्द पर चस्पा नक्शा जिसके आधार पर तरमीम आवश्यक है तथा गत तीन वर्षो में लगातार गिरदावरी में कब्जा काश्त दर्ज होना चाहिये लेकिन तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में ना ही आवश्यक दस्तावेजों को गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करते समय दस्तावेज संलग्न कर अवलोकन करना उचित समझा व ना ही दस्तावेज संलग्न किया। तहसीलदार के द्वारा दिये गये सभी आदेश में एक जैसी भाषा का उपयोग किया गया खातेदारी अधिकार देते समय उसी आदेश में बिना मुल फाईल के ना.करण चस्पानंगी को संलग्न किये बिना जांच किये तहसील के आदेश भी दे दिये। कुछ आदेशों में घास जो की प्राकृतिक पैदावार है को आधार मानकर खातेदारी आदेश प्रदान किये। खसरा गिरदावरी मे लगातार फसल गिरदावरी भी दर्ज नहीं होकर पडत है उनको भी नजर अंदाज कर दिया गया। उक्त सभी प्रकरणों में गैर खातेदारी आज से लगभग 30 वर्ष पुर्व प्रदान की गई थी तथा इस दौरान आज तक इनसे पुर्व तहसीलदारों द्वारा खातेदारी अधिकार किसी ने किसी नियमों में नहीं आने के कारण प्रदान नही किये गये। लेकिन उक्त खातेदारी अधिकार नियमों के विरूद्ध जाकर प्रदान करने के कारण तत्कालीन तहसीलदार देवगढ श्री हरेन्द्र सिंह चौहान द्वारा सभी प्रकरणों को पुनः रिव्यु (पुर्नावलोकन) कर इस आशय के साथ कि विभिन्न ग्रामवासियों द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत करने से शिकायते प्राप्त होने से समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर आदि को आधार बनाकर पुर्व में दिये गये खातेदारी आदेशों को संदेहप्रद मानते हुए सभी खातेदारी अधिकार निरस्त करने के आदेश जारी किये गये।

इस प्रकार सम्पूर्ण जांच से आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह चौहान तत्कालीन तहसीलदार देवगढ द्वारा अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग करते हुए लाभार्थियो से आपसी मिलीभगत कर लाभार्थीयों को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करना तथा पुनः खातेदारी अधिकार को निरस्त करना तथा नियमों की अवहेलना कर अपात्र व्यक्तियों को व्यक्तिगत

लाभ देने एवं स्वयं द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के उददेश्य से नियम विरूद्ध कार्य करना पृथम दृष्ट्या प्रमाणित हैं।

अतः आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री गणपत सिंह उम्र 59 साल, निवासी ग्राम लोहागल, पोस्ट माकडवाली, जनाना अस्पताल रोड, अजमेर जिला अजमेर तत्कालीन तहसीलदार देवगढ़, जिला राजसमन्द एवं अन्य द्वारा जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), सपठित धारा 13(2) भ्र0नि0 अधिनियम 1988, धारा 7, भ्र0नि0 अधि0 1988 (यथा संषोधित 2018) एवं धारा 120बी भा.द.स. का अपराध कारित करना प्रमाणित पाया जाता है। अतः आरोपीगण के विरूद्ध बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु मुख्यालय भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर को सादर प्रेषित है। भवदीय,(हिम्मत चारण) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हिम्मत चारण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), सपठित धारा 13(2) भ्र0नि0 अधिनियम 1988, धारा 7, भ्र0नि0 अधि0 1988 (यथा संषोधित 2018) एवं धारा 120बी भा.द.स. में आरोपी श्री हरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री गणपत सिंह उम्र 59 साल, निवासी ग्राम लोहागल, पोस्ट माकडवाली, जनाना अस्पताल रोड, अजमेर जिला अजमेर तत्कालीन तहसीलदार देवगढ़, जिला राजसमन्द एवं अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री हरिश्चन्द्र सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तोडगढ को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 328 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 392-96 दिनांक 24.02.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राजसमन्द 2- अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परि. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (परिवाद संख्या 559/2018)। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** HARISHCHANDRA SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 24/02/2026 14:59:54

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1967				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)